

मांग संख्या 17
मुख्य शीर्ष 4425

मद क्रमांक 1

जिला सहकारी बैंक, बिलासपुर तथा जगदलपुर को बैंकिंग अधिनियम, 1949 की धारा 11 (1) के अंतर्गत उनकी आर्थिक स्थिति के सुदृढीकरण हेतु इन बैंको के अंशपूंजी में धनवेष्ठन हेतु राशि रूपये 22.24 करोड़ का व्यय संभावित है ।

अतः इस हेतु राशि रूपये 22,24,00,000 का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।